

लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ^३ कुलसचिव कार्यालय सूचना प्रकोष्ठ

सं० ५३७/५२/१०९२
दि० १५.१२.१२

कार्यालय आदेश

मा० कुलपति महादेय के आदेश दिनांक-23.04.2022 के अनुपालन में सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी निम्नवत पदनाम से नामित किये जाते हैं:-

	कुलसंघिव,	प्रथम अधिकारी / कुलसंघिव, ल०विंवि०, लखनऊ।
2.	सहा० / उपकुलसंघिव	जन सूचना अधिकारी, ल०विंवि०, लखनऊ।
3.	वित्त अधिकारी / लेखाधिकारी, जनसूचना अधिकारी,	लेखा कार्यालय,
4.	परीक्षा नियंत्रक, जनसूचना अधिकारी,	परीक्षा / (गोपनीय अनुभाग)
5.	समरत सहा० / उप कुलसंघिव अपने-अपने अनुभाग से सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी,	परीक्षा विभाग, विधि प्रकोष्ठ, बीटिंग अनुभाग, सूचना एवं आई०जी०आर०एस०, ए०आई०एस०एच०ई०, डी०टी०पी०, डिस्पैच अनुभाग, प्रोजेक्ट, विकास एवं शोध, प्रवेश अनुभाग, छात्रवृत्ति अनुभाग, शिक्षक अनुभाग, शिक्षणेत्तर अनुभाग, आर०ए०सी०, अग्निलेख अनुभाग, लेखा अनुभाग, ऑडिट, सामान्य प्रशासन, रुसा, स्टोर एवं टेंडर। रामबद्धता अनुभाग(का पद भार मिलने की दशा में)।
6.	कुलानुशासक, जनसूचना अधिकारी,	परिसर में विद्यार्थियों की समस्या व कानून व्यवस्थाओं से सम्बन्धित सूचना।
7.	कार्य अधीक्षक, निर्माण, जनसूचना अधिकारी,	विद्युत/निर्माण विभाग।
8.	उप पुस्तकालयाध्यक्ष टैगोर, जनसूचना अधिकारी,	टैगोर पुस्तकालय,
9.	अध्यक्ष, को-आपरेटिव लैंडिंग लाइब्रेरी, जनसूचना अधिकारी	को-आपरेटिव लैंडिंग लाइब्रेरी।
10.	समन्वयक, जन सूचना अधिकारी,	वी०ए०प्र० प्रवेश/परीक्षा-2020-2022, 2021-23
11.	निदेशक / यू.डी.आर.सी., जन सूचना अधिकारी,	यू०डी०आर०सी०
12.	अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण, जन सूचना अधिकारी	छात्र कल्याण विभाग,
13.	प्रवेश समन्वयक, जन सूचना अधिकारी।	प्रवेश
14.	समरत संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, समन्वयक / निदेशक / जनसूचना अधिकारी।	कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विधि संकाय, विज्ञान संकाय, शिक्षा संकाय, री.डी.सी. प्रवेश, एवं ललित एवं कला संकाय, आयुर्वेद / यूनानी संकाय

जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त प्रत्यावेदनों का निरतारण 03 कार्य दिवसों में किया जाना अनिवार्य है। विशेष-रूप से यह भी अवगत कराया जाना है कि जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत गियत समय में सूचना उपलब्ध न कराये जाने की दशा में धारा-5(5) के अन्तर्गत आप ही जनसूचना अधिकारी होंगे एवं धारा-7 व धारा-20

में नीहित प्राविधानों के अनुरूप मा० राज्य सूचना आयोग के रामक्ष व्यक्तिगत जबाबदेही आपकी होगी ।



 (डॉ० विनोद कुमार सिंह)
 प्रथम अपीलीय अधिकारी / कुलसचिव

सं०:- ५५३/६६/२०२२

दिनांक:- ०२/०५/२०२२

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ ।
2. वैयक्तिक सहा० कुलसचिव, कुलसचिव जी के सुचनार्थ ।
3. वित्त अधिकारी / लेखाधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय ।
4. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / कार्यालय अध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय ।
5. अवै० पुस्तकालयाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय ।
6. इचार्ज, को-आपरेटिव लैंडिंग लाइब्रेरी, लखनऊ विश्वविद्यालय ।
7. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग ल०वि०वि० को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय के पुराने एवं नवीन परिसरों में नोटिस बोर्ड की व्यवस्था कराकर विवरण हिन्दी में अंकित कराने का कष्ट करें ।
8. पुस्तकालयाध्यक्ष, टैगोर पुस्तकालय, लखनऊ विश्वविद्यालय ।
9. समस्त सहा० / उप कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय ।
10. सम्बन्धित अधिकारीगण, लखनऊ विश्वविद्यालय ।
11. सचिव, राज्य सूचना आयोग, उ०प्र०, विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ ।
12. निदेशक, आई.पी.पी.आर. ल० वि० वि० ।
13. इंचार्ज, वेबसाइट, ल० वि० वि० को इस आशय से प्रेषित कि ल.वि.वि. की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।
14. निदेशक, आर.टी.आई.सेल, ल.वि.वि. ।


 (आर० क० मिश्र)

सहा०कुलसचिव, सूचना / जनसूचना अधिकारी
 कृते कुलसचिव